Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स आवास एजेंसियों का तुलनात्मक अध्ययन: रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में

पूजा मोटवानी* डॉ. शोभा अग्रवाल**

* शोधार्थी (वाणिज्य) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) भारत
** शोध निर्देशक (वाणिज्य) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – यह शोध-पत्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य कीमत, गुणवत्ता, समय-सीमाएँ, पारदर्शिता, लक्षित आबादी तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जैसे मानदंडों पर दोनों प्रदाताओं की तुलना करना है। प्राथमिक आँकड़ो के संकलन हेतु रायपुर जिले के 120 हितग्राहियों से जानकारी एकत्रित की गई है। द्वितीयक समंक हेतु शोध में नीतिगत दस्तावेजों, पुस्तके, शोध पत्र, आधिकारिक प्रकाशनों तथा क्षेत्रीय निजी डेवलपर परियोजनाओं से सन्दर्भ लिए गए हैं। अध्ययन यह संकेत देता है कि मण्डल सामाजिक उद्देश्यों के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराने में केन्द्रित है जबकि निजी डेवलपर्स बाजार-आधारित डिजाइन, गुणवत्ता और ब्रांड वैरिएंट उपलब्ध कराते हैं किंतु वास्तव में दोनों के मॉडल में सुधार की गुंजाइश मौजूद है।

शब्द कुंजी – छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स, सस्ते आवास।

प्रस्तावना – उचित आवास उपलब्धता सामाजिक कल्याण एवं संधारणीय विकास का प्रमुख हिस्सा है। भारत के बदलते शहरी माहौल में, हाउसिंग बोर्ड तथा प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स मिलकर आवास आपूर्ति को बनाते हैं। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक मुख्य स्टेट-लेवल पब्लिक एजेंसी के तौर पर, अलग-अलग आय ग्रुप के लिए नियोजित व सस्ते आवास देने का काम करता है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ (खासकर रायपुर, भिलाई और बिलासपुर के आसपास) में प्राइवेट डेवलपर्स ने पूँजी, डिजाइन नवाचार और बाजार चैनल का इस्तेमाल करके, आय सेगमेंट में सप्लाई बढ़ाई है।इस शोध का उद्देश्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व निजी डेवलपर्स के कार्यान्वयन पद्धतिव नतीजों की कई मामलों में तुलना करना,नीतिगत सुधार तथा कोऑपरेटिव मॉडल के मौकों की पहचान करना है, जो मकानों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।

चित्र: मण्डल द्वारा निर्मित मकान एवं आवास मेला द्वारा विक्रय हेतु विपणन

(स्त्रोत:cghb.gov.in)

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने अपनी शुरूवात 2004 से सीमित संसाधनों से प्रारंभ की, धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ राज्य में 'आवास क्रांति' लाकर, मण्डल एक मील का पत्थर साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल जरूरतमंदो को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर, उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर को ऊंचा करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इसका विश्वास, विशेष तौर पर इको फ्रेण्डली मकान निर्माण द्वारा 'धारणीय आवास' अर्थात् जहाँ लोगों के रहने व उसके बाद उनकी पीढ़ियों के रहने हेतु आवास उपलब्ध कराना है।

शोध साहित्य का अध्ययन

1. **ठाकुर, प्रशांत कुमार (2023)** ने अपने शोध पत्र 'Factors Influencing the Buying Decision of the Consumers of Low-Cost Houses in Mumbai Metropolitan Region'में यह अध्ययन Mumbai Metropolitan Region(एमएमआर) में आवासीय अपार्टमेंट खरीदने के निर्णय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान करने के लिए किया गया है। यह अध्ययन डेवलपर्स एवं सरकार को अपने ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने व उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आवास कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगा।
2. **लांबा, प्रीती (2024)** International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences , ISSN: 2278-6236, ने अपने शोध पत्र 'An analysis of beneficiaries satisfaction level with special reference to Pradhan MantriAwas Yojana (PMAY): A case study of Haryana State' अध्ययन में पी.एम.ए.वाई आवास योजना के साथ लाभार्थियों की संतुष्टि का निर्धारण करने में आयु, शिक्षा एवं व्यवसाय के बीच संबंधों को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
3. **सुल्ताना, सी. खमार, (2011)** ने अपने शोध अध्ययन *'तमिलनाडु*

गृह निर्माण की आवास सुविधाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन' में यह निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से, अधिक मात्रा में पूर्व से ही मकानों को माँग के अनुरूप निर्मित किया जाना केन्द्र, राज्य एवं गृह निर्माण मण्डलों की जिम्मदारी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिक मात्रा में मकानों के निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति राज्य शासन एवं तमिलनाडु गृह निर्माण मण्डल द्वारा की जानी चाहिए।

4. कुमार, रोहित (2015) ने अपने शोध पत्र 'Chhattisgarh Housing Board as a Provider of Low Income Group Housing in Raipur, 8th International Conference on Recent Advances in Civil Engineering, Architecture and Sustainable Development, 2015' में यह बताया है कि भारत जैसे वृहद देश में आवास जैसी मूलभूत आवश्यकता सरकार जनसामान्य को मुहैया कराए, जिसमें शासन भू-अधिग्रहण, करों में कटौती, सब्सिडी आादि प्रयासों के माध्यम से कम मूल्य में उपलब्ध कराए, साथ ही अध्ययन में प्रभावी योजनाओं द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में आवास निर्माण के फलस्वरूप संचार एवं यातायात साधनों का भी तीव्र गति से विकास होगा।

5. देवांगन, करूणा, (2016) ने अपने शोध कार्य 'रायपुर संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों का (वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक) विश्लेषणात्मक अध्ययन' में उन्होंने दर्शाया है, कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का उद्देश्य तत्कालिक रूप से लाभ कमाना नहीं अपितु आवास निर्माण की आधुनिक धारणा इस बात को स्वीकार करती है, कि आधुनिक आवास व्यवस्था गलियों के यांत्रिक विस्तार के साथ रहने हेतु मकानों के समूह का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण में आधुनिक भवन व्यवस्था की न्यूनतम् सुविधाओं को स्वीकार करती है, जिसमें अनुकुल वायु संवहन पर प्रत्येक खिड़की से सुखद, दृश्य पर्याप्तता, एकांतता, सफाई, बच्चों के लिए खेलने एवं बुजुर्गों के मनोरंजन के स्थान आदि का समावेश होता है।

शोध अन्तराल: बैंकिंग एवं अन्य विभिन्न संस्थाओं में पब्लिक एवं प्राईवेट, तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओंपर शोध किया जा चुका है, परंतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स के तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में आज दिनांक तक किसी प्रकार का शोध नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में शोध द्वारा न केवल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ही नहीं अपितु आवास क्रय हेतु इच्छुक सामान्य जनता भी लाभान्वित होगी।

शोध उद्देश्य:

1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों एवं बाजार में उपलब्ध रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा निर्मित मकानों की निर्माण गुणवत्ता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाओं एवं प्राइवेट डेवलपर परियोजनाओं के मध्य कीमतका तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाओं एवं बाजार में उपलब्ध निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा निर्मित मकानों मकानों में प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाओं एवं प्राइवेट डेवलपर परियोजनाओं के मध्य सुपूर्दगी समयसीमा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ:

H1 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों एवं बाजार में उपलब्ध रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा निर्मित मकानों की निर्माण गुणवत्ता स्तर में अंतर विद्यमान है।

H01 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाओं एवं प्राइवेट डेवलपर परियोजनाओं के मध्य कीमत में कोई अंतर नहीं है।

H2 बाजार में उपलब्ध निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा निर्मित मकानों में प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाएँ, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाओं से बेहतर होती हैं।

H3 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाएँ, निजी रियल एस्टेट डेवलपर परियोजनाओं के पूर्व आवास सुपूर्दगी प्रदान करती हैं।

शोध प्रविधि: प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया है। समंकों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों द्वारा किया गया है। प्राथमिक समंक संकलन में नमूना चयन हेतु सरल संभाव्य यादृच्छिक प्रणाली का उपयोग किया गया है। प्रश्नावली द्वारा रायपुर जिले के 120 आबंटियों से प्राथमिक समंक संकलन किया गया है एवं द्वितीयक समंक संकलन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पत्रिकाएँ, भारत तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के सरकारी आंकडे, रायपुर अंतर्गत कार्यालय के सरकारी आंकड़े तथा समाचार पत्र-पत्रिका, मार्गदर्शिका, इंटरनेट, वेब-साईट आदि द्वारा एकत्र किये गये हैं। ऑकड़ों की सार्थकता की जॉच हेतु प्रतिशत व काई वर्ग टेस्ट का उपयोग किया गया है।

शोध सीमाएँ:

1. अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के रायपुर जिले को लिया गया है।
2. रायपुर जिले के 120 मण्डल हितग्राहियों से समंक एकत्रित किये गये हैं।
3. नमूना चयन हेतु सरल संभाव्य यादृच्छिक प्रणाली का उपयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवंपरिकल्पना सत्यता की जाँच

तालिका क्रमाँक 1

क्या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानो व बाजार में उपलब्धता निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की निर्माण गुणवत्ता में अंतर है?	आवृत्ति	प्रतिशत	काईवर्गमान	पी-मान
हाँ	102	85.00%	241.363	0.000 (<0.01)
नहीं	18	15.00%		
कुल	**120**	**100.00%**		

(स्त्रोत :- प्राथमिक समंक)

लेखचित्र क्रमाँक 1

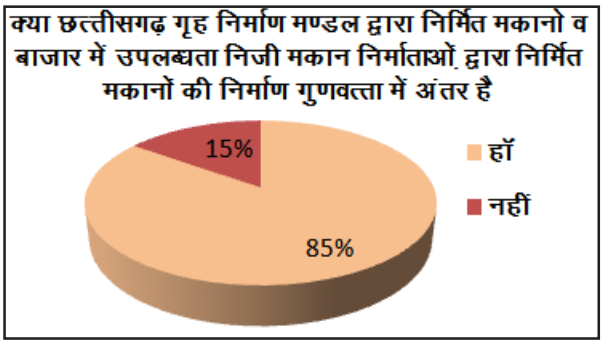

विश्लेषण:-उपरोक्त सारणी में हितग्राहियों को प्राप्त मकान की छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानो व बाजार में उपलब्धता निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की निर्माण गुणवत्ता में अंतर है या नहीं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सर्वे से प्राप्त कुल 120 आँकड़ों में से 85%हितग्राहियों ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानो व बाजार में उपलब्धता निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की निर्माण गुणवत्ता में अंतर है, के पक्ष में अपना मत दिया, जबकि शेष 15%हितग्राहियों ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानो व बाजार में उपलब्धता निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की निर्माण गुणवत्ता में अंतर नहीं है, के पक्ष में अपना मत दिया।

उपरोक्त तालिका में आँकड़ों की सार्थकता अंतर को दर्शाने के लिए काई वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया है, जिसमें काई वर्ग का मान 1 स्वातंत्र्य स्तर पर 241.363 प्राप्त हुआ एवं इसका p मान 0-0000 (<0.01) प्राप्त हुआ। उक्त p मान से स्पष्ट है कि आँकड़ों में अत्याधिक सार्थक अंतर पाया गया। अत: हम कह सकते हैं कि में अधिकतम् हितग्राहियों का यह मानना उचित है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानो व बाजार में उपलब्धता निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की निर्माण गुणवत्ता में अंतर है।अत: यह परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है। क01 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाओं एवं निजी डेवलपर परियोजनाओं के मध्य कीमत में कोई अंतर नहीं है।

तालिका क्रमाँक 2

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाओं एवं प्राइवेट डेवलपर परियोजनाओं में किस एजेंसी की कीमत अधिक है?	आवृत्ति	प्रतिशत
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	24	20.00%
निजी रियल एस्टेट डेवलपर	96	80.00%
कुल	**120**	**100.00%**

(**स्त्रोत:** प्राथमिक समंक)

विश्लेषण:उपरोक्त सारणी में हितग्राहियों को प्राप्त मकान की छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानो व बाजार में उपलब्धता निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों किस एजेंसी की कीमत अधिक है, का अध्ययन किया गया है। सर्वे से प्राप्त कुल 120 आँकड़ों में से 80%हितग्राहियों ने निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की कीमत को अधिक बताया है जबकि शेष 20%हितग्राहियों ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानो व की कीमत को अधिक बताया है।उक्त प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि सर्वे से प्राप्त आँकड़ों में अधिकतम् 80% हितग्राहियों का मानना है किनिजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की कीमत अधिक है इससे स्पष्ट होता है कि दोनों एजेंसियों की कीमत में सार्थक अंतर है।अत: यह परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है, कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाओं एवं निजी डेवलपर परियोजनाओं के मध्य कीमत में कोई अंतर नहीं है।

H2 बाजार में उपलब्ध निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा निर्मित मकानों में प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाएँ, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाओं से बेहतर होती हैं।

तालिका क्रमाँक 3: क्या आपको लगता है कि यह मकान निजी निर्माता से क्रय करने पर अधिक सुविधा प्राप्त होगी?

क्या आपको लगता है कि यह मकान निजी निर्माता से क्रय करने पर अधिक सुविधा प्राप्त होगी	आवृत्ति	प्रतिशत	काईवर्गमान	पी-मान
हाँ	84	70.00%	82.266	0.000 (<0.01)
नहीं	36	30.00%		
कुल	**120**	**100.00%**		

(**स्त्रोत:** प्राथमिक समंक)

लेखचित्र क्रमाँक 2

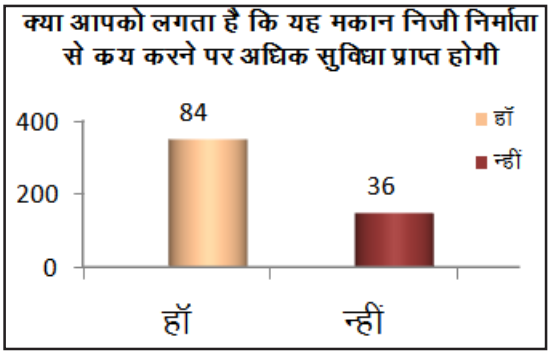

विश्लेषण:उपरोक्त सारणी में हितग्राहियों को प्राप्त मकान के संबंध में मण्डल एवं निजी मकान निर्माताओं से प्राप्त आवासीय सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सर्वे से प्राप्त कुल 120 आँकड़ों में से 70%हितग्राहियोंके अनुसार निजी मकान निर्माता बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जबकि 30%हितग्राहियों के अनुसार मण्डल द्वारा निजी मकान निर्माताओं से बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।अत: उक्त प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि सर्वे से प्राप्त आँकड़ों में अधिकतम् हितग्राहियों 70.00%हितग्राहियों के अनुसार निजी मकान निर्माता बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराते हैं।उपरोक्त तालिकामें आँकड़ों की सार्थकता अंतर को दर्शाने के लिए काई वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया है, जिसमें काई वर्ग का मान 1 स्वातंत्र्य स्तर पर 82.266 प्राप्त हुआ एवं इसका p मान 0-0000 (<0.01) प्राप्त हुआ। उक्त p मान से स्पष्ट है कि आँकड़ों में अत्यधिक सार्थक अंतर पाया गया। अत: हम कह सकते हैं कि ज्यादातर हितग्राहियों के अनुसार निजी मकान निर्माता बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

अत: यह परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है।

H3 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाएँ, निजी रियल एस्टेट डेवलपर परियोजनाओं के पूर्व आवास सुपूर्दगी प्रदान करती हैं।

तालिका क्रमाँक 4

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाएँ, निजी रियल एस्टेट डेवलपर परियोजनाओं के पूर्व आवास सुपूर्दगी प्रदान करती हैं।	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	108	90.00%
नहीं	12	10.00%
कुल	**120**	**100.00%**

(**स्त्रोत:** प्राथमिक समंक)

विश्लेषण:उपरोक्त सारणी में हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाएँ, निजी रियल एस्टेट डेवलपर परियोजनाओं के पूर्व आवास सुपूर्दगी प्रदान करती हैं या नहीं का अध्ययन किया गया है। सर्वे से प्राप्त कुल 120 आँकड़ों में से 90%हितग्राहियों ने निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की आवास सुपूर्दगी जल्दी प्रदान करती हैं, बताया है जबकि शेष 10% हितग्राहियों नेछत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाएँ, निजी रियल एस्टेट डेवलपर परियोजनाओं के पूर्व आवास सुपूर्दगी प्रदान करती हैं, बताया है।उक्त प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि सर्वे से प्राप्त आँकड़ों में अधिकतम् 90% हितग्राहियों का मानना है कि निजी मकान निर्माताओं द्वारा निर्मित मकानों की सुपूर्दगी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाओं द्वारा निर्मित आवासों के पूर्व की जाती है। अत: इससे स्पष्ट होता है कि दोनों एजेंसियों की कीमत में सार्थक अंतर है। अत: यह परिकल्पना असत्य सिद्ध होती है, कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की परियोजनाएँ, निजी रियल एस्टेट डेवलपर परियोजनाओं के पूर्व आवास सुपूर्दगी प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष – मण्डल की योजनाएँ हितग्राहियों के लिए अधिक लक्षित एवं सब्सिडी-समर्थित होती हैं, इसलिए निम्न-आय वर्ग को लाभ मिलने की संभावना अधिक रहती हैवहीनिजी डेवलपर्स प्राय: आधुनिक सुविधाएँ और बेहतर विपणन सुविधाएँ देते हैंइसलिए मध्यम-उच्च आय वर्ग में उनकी लोकप्रियता अधिक है।समय पर सुपूर्दगी निजी रियल एस्टेट डेवलपर फर्में अनुबंधित पेनाल्टी व बाजार-प्रतिस्पर्धा के कारण समय-सीमा का पालन बेहतर करती हैं, परन्तु बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स में प्रशासनिक प्रक्रियाओं की वजह से विलंब होता है।हाल के वर्षों में मण्डल द्वारा डिजिटल ऑफर, ऑनलाइन प्रक्रियाएँ, बढ़ाई गई हैं, परन्तु पारदर्शिता एवं सार्वजनिक सूचना में और सुधार की आवश्यकता है।

सुझाव – छत्तीसगढ़ में बेहतर आवास हेतु मण्डल एवं प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स दोनों जरूरी हैं। रणनीतिक सहयोग, मजबूत नियमन, और बेहतर पारदर्शिता आवास संबंधी मौजूदा कमियों को दूर कर सकती है, जिससे छत्तीसगढ़ की बढ़ती शहरी आबादी के लिए तेज, उच्च-गुणवत्ता वाली और ज्यादा समावेशी हाउसिंग डिलीवरी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Connecting Generations - Coffee Table Book of Chhattisgarh Housing Board, 2014.
2. देवांगन, करूणा (2016) रायपुर संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों का विश्लेषण (वर्ष 2002-03 से 2012-23 तक)
3. Kumar, Rohit (2015) Chhattisgarh Housing Board as a Provider of Low Income Group Housing in Raipur, 8th International Conference on RecentAdvances in Civil Engineering,Architecture and Sustainable Development, 2015
4. संगवारी पत्रिका, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल हितग्राही मार्गदर्शिका - प्रश्नोत्तरी, 2014
5. Sultana, C. Khamar(2011)A Study on the performance of the Tamil Nadu Housing Board in Providing House Facilities in Tamil Nadu.

****